# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस

**प्रकरण संख्या 87/2022**

सीताराम पुत्र भागीरथ सिंह, जाति जाट, निवासी कुलहरियों की ढाणी तन मेघसागर, पोस्ट बुडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— आवेदक

**बनाम**

1. प्रेमसिंह
2. देवीसिंह
3. सुरेन्द्र
4. बलकेश
5. राजकुमार
   पुत्रगण रामानन्द, समस्त जाति जाट, निवासीगण मेघसागर की ढाणी, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
6. सांवरमल पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी मेघसागर की ढाणी, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिडावा।
8. श्री संदीप चौधरी, उपखण्ड अधिकारी, चिडावा।

—— अनावेदक

– – –

प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिल अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उनवानी प्रकरण प्रेमसिंह वगैरह बनाम सीताराम वगैरह मु0न0 121/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा प्रार्थना पत्र अ0धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

– – –

उपस्थितः–

1. श्री लोकेश शर्मा, अभिभाषक – आवेदक की ओर से।
2. श्री रोताश कुमार कुलहरी, अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 7 व 8 की ओर से।
4. अनावेदक सं0 6 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

## आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:22 IST
Reason: SelfAttested

**दिनांक 27.04.2022**

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न [illegible] अनावेदकगण नं0 1 लगायत 4 के द्वारा आवेदक के खेत ख0न0 109 रकबा 1.02 हैक्टर में से नया रास्[illegible] की यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि आवेदक सीताराम के द्वारा अना[illegible] दावा स्[illegible]धाज्ञा का इस आशय का पेश किया था कि आवेदक की भूमि ख0न0 10[illegible]कबा 1.02 हैक्टर स्वयं [illegible] शुदा भूमि है जिसका आवेदक खातेदार काश्तकार है जिसका शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करता है और आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए तारबन्दी कर रखी है। अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 आवेदक से भूमि क्रय करने के रोज से ही रंजिश रखते है तथा आवेदक को धमकी देते है कि आपके खेत ख0न0 109 के पूर्वी पश्चिमी

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

सीमा पर जबरन रास्ता निकालेंगें तथा आपकी खडी फसल को बर्बाद करेंगें। अनावेदक 1 लगायत 4 दिनांक 06.09.2020 को मौके पर आये और कहा कि आपकी भूमि मे ख0न0 109 रकबा 1.02 हैक्टर मे रास्ता जबरन निकालेंगें और रास्ता निकालकर इसको गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करवायेंगें। राज्य सरकार के द्वारा किसी के भी खेत मे से नया रास्ता निकालने के लिए नया कानून बनाया है। हमारी उपखण्ड अधिारी चिडावा अनावेदक नं0 8 से बात हो गई है। आपको जो भी करना हो आप कर सकते हो। आपके खेत मे से बीच मे से रास्ता लेकर ही रहेंगें। अनावेदक नं0 1 लगायत 5 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जिनकी रिश्तेदारी हरियाणा राज्य मे है। अनावेदक नं0 8 श्री संदीप चौधरी के घर पर भी इनका आना जाना है और आवेदक को ऐलानियां धमकी दी है कि हम उपखण्ड अधिकारी चिडावा अनावेदक नं0 8 को बडे राजनेता का टेलीफोन करवा दिया है। अगली तारीख पर जो स्थगन जारी कर रखा है उसकों भी निरस्त करवा देंगें जो भी कुछ करना हो वो आप कर सकते हो। रास्ता आपके खेत के बीच मे से निकालकर रहेंगें। अनावेदक नं0 1 लगायत 5 बडे राजनेताओं के सम्पर्क मे है व उपखण्ड अधिकारी चिडावा को भी प्रभाव मे ले रखा है। ऐसी स्थिति मे आवेदक को अदलत मातहत से न्याय मिलने की कतई संभावना नही है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए जिससे एहसास हो कि मेरे साथ न्याय किया जा रहा है। लेकिन अदालत मातहत बडे राजनेताओं के प्रभाव मे होने के कारण आवेदक के साथ न्याय नही कर पायेगा और न ही आवेदक को भी अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिडावा से कोई न्याय मिलने की कोई आशा है। ऐसी सूरत मे प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि श्रीमान्जी उक्त प्रकरण को स्वयं सुने या जिले के किसी भी निष्पक्ष उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है। जिससे आवेदक के साथ न्याय हो सके। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकील पेशकर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक का उक्त प्रकरण विधिनुसार सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से अन्य किसी न्यायालय मे हस्तान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा ने पत्रांक 276 दिनांक 30.03.2022 द्वारा बिन्दूवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि आवेदक उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 आवेदक से भूमि क्रय करने के रोज से ही रंजिश रखते है तथा आवेदक को धमकी देते है कि आपके खेत ख0न0 109 के पूर्वी पश्चिमी सीमा पर जबरन रास्ता निकालेंगें तथा आपकी खडी फसल को बर्बाद करेंगें। अनावेदक 1 लगायत 4 दिनांक 06.09.2020 को मौके पर आये और कहा कि आपकी भूमि मे ख0न0 109 रकबा 1.02 हैक्टर मे रास्ता जबरन निकालेंगें और रास्ता निकालकर इसको गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करवायेंगें। राज्य सरकार के द्वारा किसी के भी खेत मे से नया रास्ता निकालने के लिए नया कानून बनाया है। हमारी उपखण्ड अधिारी चिडावा अनावेदक नं0 8 से बात हो गई है। आपको जो भी करना हो आप कर सकते हो। आपके खेत मे से बीच मे से रास्ता लेकर ही रहेंगें। अनावेदक नं0 1 लगायत 5 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है जिनकी रिश्तेदारी हरियाणा राज्य मे है। अनावेदक नं0 8 श्री संदीप चौधरी के घर पर भी इनका आना जाना है और आवेदक को ऐलानियां धमकी दी है कि हम उपखण्ड अधिकारी चिडावा अनावेदक नं0 8 को बडे राजनेता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 14:15:22 IST
Reason: SelfAttested

टेलीफोन करवा दिया है। अगली तारीख पर जो स्थगन जारी कर रखा है उसकों भी निरस्त करवा देंगें जो भी कुछ करना हो वो आप कर सकते हो। रास्ता आपके खेत के बीच मे से निकालकर रहेंगें। अनावेदक नं0 1 लगायत 5 बडे राजनेताओं के सम्पर्क मे है व उपखण्ड अधिकारी चिडावा को भी प्रभाव मे ले रखा है। ऐसी स्थिति मे आवेदक को अदलत मातहत से न्याय मिलने की कतई संभावना नही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए जिससे एहसास हो कि मेरे साथ न्याय किया जा रहा है। लेकिन अदालत मातहत बडे राजनेताओं के प्रभाव मे होने के कारण आवेदक के साथ न्याय नही कर पायेगा और न ही आवेदक को भी अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिडावा से कोई न्याय मिलने की कोई आशा है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकील पेशकर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक का उक्त प्रकरण विधिनुसार सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से अन्य किसी न्यायालय मे हस्तान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी पर आरोप नही है। देरी के उद्देश्य से प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा मे यह प्रार्थना पत्र बाबत मुकदमा स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो। इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 121/2020 उनवानी प्रेमसिंह वगैरह बनाम सीताराम वगैरह किस्म मुकदमा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी चिडावा के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी चिडावा मुकदमा संख्या 121/2020 उनवानी प्रेमसिंह वगैरह बनाम सीताराम वगैरह किस्म मुकदमा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय में दिनांक 19.05.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो [illegible] तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:22 IST
Reason: SelfAttested

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं